

J. N. 2

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD)

No.2012/TG-I/10/P/UTS

New Delhi, Dated: 11.10.2018

**The Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.**

(Commercial Circular no. 58 of 2018)

**Sub: Enhancement of period for purchasing unreserved reverse tickets
during Mahakumbh Mela.**

Maha Kumbh Mela is going to be held at Allahabad in 2019. A large number of passengers are expected to be dealt by Mela stations of Northern, North Central and North Eastern Railways during the event.

2. In view of the enormous rush of people visiting Allahabad during the period of Mahakumbh Mela, in addition to provision of additional unreserved booking counters, it is necessary to offload the booking counters and facilitate passengers in booking of tickets in advance.

3. Against this backdrop, the matter has been examined. It has been decided, as a special case, that **during this Mela period only**, to help passengers following modifications will be made in the advance booking period of unreserved tickets subject to levy of Mela surcharge as per extant instructions:-

- i. If a passenger purchases an unreserved return ticket through UTS from any station on Indian Railways for journey to any one of the 12 stations in Allahabad region serving the Mahakumbh Mela viz. Allahabad Junction, Allahabad City, Naini, Subderganj, Rambag, Prayag, Prayag Ghat, Daraganj, Phaphumau, Jhusi, Vindhyachal, Chheoki and back, the return ticket shall be allowed to be booked up to 15 days in advance excluding the date of journey, e.g., if a passenger at Nagpur wishes to purchase ticket to any station in Allahabad Mela area and back, he can purchase the same 15 days in advance. **No refund shall, however, be allowed on such return tickets.**
- ii. The date of journey shall be indicated on the ticket.
- iii. This facility shall be available for tickets purchased on or after 11th January 2019 up to 6th March 2019.
- iv. Above facility shall, however, be subject to the conditions stipulated in CC no. 5 of 2016 regarding non-issuing of return journey tickets for a distance up to 199 km.

3.1 Zonal Railways should also define the probable routes in UTS from where traffic is expected to move towards stations in Mahakumbh Mela area.

3.2 CRIS shall make necessary modifications, under intimation to all Zonal Railways as well as Board's office.

3.3 **Wide publicity through all possible means viz. Print/Electronic Media, Railway Website, Public Announcement System, etc. should be given for dissemination of information about this facility to avoid congestion at the stations serving Mela area and also to avoid inconvenience to the general public.**

Shelly

(Shelly Srivastava)
Director Passenger Marketing
Railway Board

No. 2012/TG-I/10/P/UTS

New Delhi, dated 11.10.2018

Copy to:

PFA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

P. Ch.
11.10.18
For Financial Commissioner/Railways

Copy to:

1. CCM/PMs, CCM/PSs & Controller of Stores, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. EDQA/RITES, Gurugram
4. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
5. GM/UTS, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
6. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
7. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
8. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
9. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
10. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
11. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
13. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
14. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
15. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2012/टीजी-1/10/पी/यूटीएस

नई दिल्ली, दिनांक: 11.10.2018

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 58)

विषय: महाकुंभ मेले के दौरान अनारक्षित रिवर्स टिकटें खरीदने की अवधि बढ़ाना।

2019 में महाकुंभ मेला इलाहाबाद में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान उत्तर, उत्तर मध्य और पूर्वोत्तर रेलवे के मेला स्टेशनों पर भारी संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है।

2. महाकुंभ मेला अवधि के दौरान इलाहाबाद में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए, अतिरिक्त अनारक्षित बुकिंग काउंटरों के प्रावधान के अलावा, यह आवश्यक है कि बुकिंग काउंटरों पर बोझ कम किया जाए और यात्रियों को अग्रिम टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान की जाए।

3. इस पृष्ठभूमि के तहत, मामले की जांच की गई है। यह विनिश्चय किया गया है कि, केवल इस मेला अवधि के दौरान, यात्रियों की सहायता के लिए, विशेष मामले के रूप में, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार मेला प्रभार लगाने के अध्यक्षीन अनारक्षित टिकटों की अग्रिम बुकिंग अवधि में निम्नलिखित आशोधन किए जाएंगे:-

- i. यदि कोई यात्री भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन से महाकुंभ मेले के लिए इलाहाबाद क्षेत्र के 12 स्टेशनों जैसे इलाहाबाद जंक्शन, इलाहाबाद सिटी, नैनी, सूबेदारगंज, रामबाग, प्रयाग, प्रयाग घाट, दारागंज, फाफामऊ, झूसी, विंध्याचल, छिवकी में से किसी भी स्टेशन की ओर जाने और वापस आने के लिए यूटीएस के जरिए अनारक्षित रिटर्न टिकट खरीदता है, तो उसे यात्रा की तारीख को छोड़ कर 15 दिन पहले रिटर्न टिकट बुक करने की अनुमति होगी, उदाहरण के लिए, यदि नागपुर का कोई यात्री इलाहाबाद मेला क्षेत्र के किसी भी स्टेशन की ओर जाने और वापस आने का टिकट खरीदना चाहता है, तो वह 15 दिन पहले टिकट खरीद सकता है। **बहरहाल, इन रिटर्न टिकटों पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।**
- ii. टिकट पर यात्रा की तारीख इंगित की जाएगी।
- iii. यह सुविधा केवल 11 जनवरी 2019 से 6 मार्च 2019 तक खरीदी गई टिकटों के लिए उपलब्ध होगी।
- iv. बहरहाल, उपर्युक्त सुविधा 199 कि.मी. तक की दूरी के लिए रिटर्न यात्रा टिकट जारी न करने के संबंध में 2016 के सीसी सं. 5 में निर्धारित शर्तों के अध्यक्षीन होगी।

3.1 क्षेत्रीय रेलों द्वारा यूटीएस में उन संभावित मार्गों को भी निर्धारित किया जाए, जहां से महाकुंभ मेला क्षेत्र के स्टेशनों की ओर यात्रियों के आने की संभावना है।

3.2 क्रिस सभी क्षेत्रीय रेलों और साथ ही बोर्ड कार्यालय को सूचित करते हुए आवश्यक आशोधन करेगा।

3.3 इस सुविधा के बारे में प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेलवे वेबसाइट, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली आदि जैसे संभावित माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार किया जाए ताकि मेला क्षेत्र के आस-पास के स्टेशनों पर भीड़-भाड़ से बचा जा सके और जनसाधारण को भी असुविधा न हो।



(शैली श्रीवास्ताव)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

सं. 2012/टीजी-1/10/पी/यूटीएस

नई दिल्ली, दिनांक 11.10.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:

प्रधान वित्त सलाहकार एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें।
निदेशक (लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें।

4 copy
2-11-18
कृते वित्त आयुक्त/रेलें।

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीसीएम/पीएम, सीसीएम/पीएस, एवं भंडार नियंत्रक, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक सतर्कता (टी), निदेशक एफ (सी), पी पी एस/एफसी, वि. का. अधिकारी/टी सी, रेलवे बोर्ड की वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं।
3. का. नि. क्यू. ए./राइट्स, गुरुग्राम
4. जीजीएम/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टैट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001.
5. महाप्रबंधक/यूटीएस, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
6. महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वड़ोदरा।
7. प्रिंसीपल, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
8. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226011.
9. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
10. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
14. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-71.
15. महानिदेशक, कौकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट सं.6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614.
